भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1619

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं

1619. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री विजय कुमार दूबेः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री राजकुमार चाहरः
श्री परषोत्तमभाई रुपाला
श्री पी. सी. मोहन
श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगर नियोजकों और अन्य पेशेवरों की नियुक्ति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है।

(ग) राज्यों के अवसंरचनागत सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग को प्रदान की गई धनराशि के वितरण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुख्य योजना और विकास योजना तैयार करने के लिए कितने शहरों को निधि प्रदान की गई है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता के साथ 01 अक्टूबर 2021 को 05 वर्षों की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने और देश के सभी सांविधिक शहरों में सभी परिवारों को चालू नलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों के सभी परिवारों को सीवेज/सेप्टेज प्रबंधन भी प्रदान करना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अमृत 2.0 मिशन के लिए शीर्ष समिति द्वारा 1,82,569.26 करोड़ रु. की लागत (संचालन और रखरखाव लागत सहित) वाली 8,205 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं की मंजूरी दी गई है।

इसमें 1,13,358.44 करोड़ रु. की लागत वाली 3,543 जलापूर्ति परियोजनाएं, 62,935.90 करोड़ रु. की लागत वाली 548 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 5,432.21 करोड़ रु. लागत वाली 2,713 जलाशयों का पुनरुद्धार परियोजनाएं और 842.71 करोड़ रु. की लागत वाली 1,401 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

1,15,858.09 करोड़ रु. की लागत वाली 6,132 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदित की गई हैं, 1,01,535.20 करोड़ रु. की लागत वाली 5,153 परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई हैं। 69,613 करोड़ रु. की लागत वाली 4,065 परियोजनाओं के ठेके दे दिए गए हैं और 813.38 करोड़ रु. की लागत वाली 537 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ख): अमृत 2.0 दिशानिर्देश के अंतर्गत नगर नियोजकों की नियुक्ति के लिए बजट आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग): 15 वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए राज्यों को अनुदान जारी करने की सिफारिश की है, न कि राज्य वित्त आयोग को।

(घ): अमृत 2.0 के अंतर्गत, 50,000-99,999 की जनसंख्या वाले 675 श्रेणी-II शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की उप-योजना 631.13 करोड़ रु अनुमानित परिव्यय के साथ शुरू की गई है।

******